...म न्यायालय

...स संख्या 103

...म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत सम सी	विशेष टिप्पणी
	23/5/23	पत्रावली पर उपलब्ध की बहस दिनांक 11/5/23 को सुनी गई। वादी अधिवक्ता का कथन रहा कि वादी रामरतन ग्राम रामखेड़ा पटवार क्षेत्र खनीपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त राधा-किशनपुरा, आमेर में स्थित भूमि खाता संख्या 114, खसरा सं० 161 रकबा 6.42 हैक्टेयर में सह-खातेदार हैं एवं अपनी हिस्से की भूमि पर पोल्ट्री हाऊस एवं फार्म पोण्ड का निर्माण कर रहे हैं जिस पर अप्रार्थी सं 1 व 2 ने मिलकर प्रार्थीगण की काश्त कब्जे की भूमि पर से 11 हजार KV की हाईटेंशन विद्युत लाईन अपनी भूमि तक खिंचवाने पर आमादा हैं जिसके कारण वादी अपनी भूमि पर पोल्ट्री हाऊस व फार्म पोण्ड का निर्माण कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी	

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

Scanned with CamScanner

आमेर मु. जयपुर

11/8/23

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष
उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता
का कथन रहा कि प्रार्थना पत्र
में अंतिम बहस सुनी जावे,
क्योंकि वादी द्वारा प्रा.पत्र 1R10 CPC
व 151 पेश किया है वह तरमीमी
प्रतिवादी सं. 7 के संबंध में
है जिनसे वादी ने कोई रिलीफ
नहीं चाहा है। वादी अधिवक्ता
ने भी बहस हेतु सहमति
जाहिर की।
उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र
पर सुनी गयी पत्रावली वास्ते
आदेश अंतिम निर्णय की जाती है।

सहायक [illegible]
आमेर मु. जयपुर

नाम न्यायालय

केस संख्या 103

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे विवादग्रस्त आराजी पर से कोई विद्युत लाईन नहीं खींचें, खम्बे नगाड़े व वादीगण की कब्जे-काश्त में कोई बाधा उत्पन्न न करें। प्रतिवादी अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1 व 2 की तरफ से बहस में कहा गया कि अप्रार्थी सं० 1 ने अपनी कृषि भूमि पर विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया हुआ है जिसमें डिमांड राशि भी जमा हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 (विद्युत विभाग) द्वारा जो नक्शा तकमीना बनाया है उसमें वादी की कोई भूमि में से लाईन नहीं डाली जावेगी और न ही वादीगण का कोई नुकसान वादी का होगा। उक्त विद्युत लाईन केवल मेड़ के ऊपर से डाली जावेगी जिससे समर्थन में वादी कोई

[illegible]	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा नियुक्त कार की	[illegible]
		नक्शा भी पेश किया हुआ है जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 2 (विद्युत विभाग) के अधिवक्ता ने बताया कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा आसामी/प्रतिवादी सं. 2 के यहाँ 1.5 K.V विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया है उक्त कनेक्शन के लिए वादी व प्रतिवादी गण की कृषि भूमियों की मेड़ से होते हुए लाइन बनाया है न की वादी कि भूमि में से, जिससे वादी को किसी प्रकार की असुविधा या अपूर्तनीय हानि नहीं हो रही है क्योंकि बिजली कनेक्शन आवश्यक व मूलभूत सेवा है इसलिए प्रार्थी वादी आसामी को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है। इसके संबंध में कनिष्ठ अभियंता JVVNL (जालसू) की नवीनतम रिपोर्ट भी पेश की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया	

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

Scanned with CamScanner

केस संख्या 10-5

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
		गया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों (JVVNL रिपोर्ट) एवं तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी गण द्वारा जो विद्युत कनेक्शन खींचा जा रहा है वह वादी की भूमि के ऊपर से न होकर दोनों (वादी व प्रतिवादी) की मेड़ से होकर लिया जावेगा। वादी द्वारा कोई ठोस तथ्य या दस्तावेज से साबित नहीं किया कि उक्त कनेक्शन वादी की भूमि के ऊपर से लिया जावेगा। क्योंकि विद्युत कनेक्शन लेना प्रतिवादी संख्या 1 की मूलभूत आवश्यकता है, एवं प्रतिवादी सं० 2 एक सरकारी एजेंसी है जो कि अपने उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा मेड़ पर से विद्युत लाईन खींची जाती है तो वादी को किसी	

सहायक कलेक्टर
आमेर जयपुर

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

केस संख्या : 107

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		संसार से क्षति होना संभव नहीं है परन्तु अगर उसके विद्युत कनेक्शन लेने से प्रतिवादी को रोका जाता है तो प्रतिवादी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है वादी किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामले को साबित नहीं कर पाए न ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति वादी के पक्ष में प्रतीत होती है प्रतिवादी संख्या-1 खातेदार काश्तकार है एवं अपनी भूमि पर कृषि विद्युत कनेक्शन लेने का अधिकारी है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रतिवादी के पक्ष में ही साबित होता है उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप वादी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Scanned with CamScanner